अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पुखराज दग्दी बनाम हीरालाल वगैरह

किस्म मुकदमा–151 जाप्ता दीवानी

प्रकरण संख्या 423 /2022 (पुष्कर)

प्रा.पत्र 151 CPC खारिज
12/12/2022

	श्री जगदीश चौधरी एड श्री	
28.11..2022	**पुखराज दग्दी बनाम हीरालाल वगैरह (/2022)** यह प्रार्थना पत्र वास्ते अपील पत्रावली तलब किये जाने बाबत् श्री जगदीश चौधरी एडवोकेट ने पेश किया गया। प्रार्थना पत्र वास्ते अपील पत्रावली तलब किये जाने बाबत् के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. पेश किया गया। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 02.12.2022 को पेश हो।	
02.12..2022	प्रार्थना पत्र वास्ते अग्रिम कार्यवाही पेश किया गया। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये जाने हेतु अभिभाषक प्रार्थी ने निवेदन किया। अभिभापक प्रार्थी को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 151 जा.दी. पर सुना गया। प्रार्थना पत्र आदेश हेतु रिजर्व रखा जाता है।	
12.12.2022	प्रार्थना पत्र आदेश हेतु रिजर्व रखी गयी जो आज प्रस्तुत हुई। अभिभाषक प्रार्थी को दिनांक 02.12.2022 को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि मान्नीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.06.2022 को एक अपील अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 25.03.2022 जो कि उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 21/2022 बउनवानी हीरालाल बनाम पुखराज में पारित किया गया से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई थी। उपरोक्त अपील पर अपीलांट की बहस सुनी जाकर दिनांक 12.07.2022 को आदेश पारित कर अपील को निर्णित करते हुए रिमाण्ड कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर को आदेशित किया गया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगणु पर उक्त आदेश दिनांक 12.07.2022 से 30 दिवस में निस्तारण करें। मान्नीय न्यायालय के आदेश अनुपालना में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पर बहस करने हेतु निवेदन किया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांट/प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र पर गौर नही किया और एक अवैधानिक की जा रही है एवं अपर न्यायालय के आदेशो की पालना नहीं की जा रही है, जिससे अपीलांट/प्रतिवादी को समय पर न्याय प्राप्त नहीं हो रहा है और वह अपने अधिकारों से वंचित हो रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने मान्नीय न्यायालय के आदेश की अनुपालना हो सकें लेकिन ऐसी कोई कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय ने नही की है इसलिए मजबूरवश प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र मान्नीय न्यायालय के समक्ष न्याय प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपीलांट का शपथ पत्र सलंग्न है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय हाजा के पारित आदेश दिनांक 12.07.2022 की अनुपालना करवायी जावें एवं विकल्प में निवेदन किया कि मान्नीय न्यायालय उचित समझे तो अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.03.2022	

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पुखराज दग्दी बनाम हीरालाल वगैरह
किस्म मुकदमा–151 जाप्ता दीवानी
प्रकरण संख्या 423 /2022 (पुष्कर)

को निरस्त फरमाये जाने के आदेश न्यायहित में पारित करने की कृपा करावे।

हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन प्रार्थी/अपीलांट द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 प्रस्तुत कर हाजा न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 12.07.2022 को की अनुपालना करवाने हेतु अपना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.2022 को निरस्त किये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि विधिअनुसार प्रार्थी/अपीलांट द्वारा चुनौतीधीन आदेश दिनांक 25.03.2022 के विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष पूर्व में ही अपील प्रस्तुत की जा चुकि है जिस पर हाजा न्यायालय द्वारा 12.07.2022 को निर्णय पारित किया जा चुका है तथा विधिअनुसार किसी भी न्यायालय द्वारा पत्रावली बाबत् पक्षकारों को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात एक बार निर्णय किया जाकर पत्रावली को नम्बर से कम किये जाने का आदेश प्रदान किये जाने के उपरांत उक्त पत्रावली में किसी भी प्रकार से आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 संधारण योग्य नहीं है तथा हाजा न्यायालय द्वारा चुनौतीधीन आदेश दिनांक 25.03.2022 के विरूद्ध अपील को सुना जाकर दिनांक 12.07.2022 को निर्णय पारित किया जा चुका है जिसमें हाजा न्यायालय द्वारा विधिअनुसार उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नही किया जा सकता है इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधिविरूद्ध पाया जाने से इसी स्तर पर निरस्त योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी संधारण योग्य नही होने से निरस्त किया जाता है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर